फारम सं0-563

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
2	3

अभिलेख उपस्थापित।

(1.) साहिल कुमार पिता स्व0 रितन राम, (2.) कृष्णा कुमार पासवान पिता स्व0 भुनेश्वर पासवान, (3.) गणेश राम पिता स्व0 सुखदेव राम, निवास स्थान हुड़हुड़, थाना-हजारीबाग बड़ा बाजार, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुड़, थाना नं0-147, खाता संख्या-79, प्लॉट संख्या-1726, रकवा 0.0275 एकड़ (2.75 डिसमिल) (दो दशमलव सात पाँच डिसमिल) एवं खाता संख्या-79, प्लॉट संख्या-1727, रकवा 0.0225 एकड़ (2.25 डिसमिल) (दो दशमलव दो पाँच डिसमिल) कुल रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि कैलाश गंझू पिता कार्तिक गंझू, निवास स्थान रिकवा, मिसराईन मोढ़ा, पोस्ट-डाड़ी, थाना-गिद्दी 'ए', जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकगण एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन संमर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-51/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2084/रा0 दिनांक 27.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1426 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदक को आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत माधो दुसाध वगैरह हैं। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.49 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-78/III पर रामलाल दुसाध वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2020-21 तक निर्गत् है। आवेदक के दादा/परदादा के नाम से जमाबंदी दर्ज है। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 1.49 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.44 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकगण को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी ता
1	2	3

भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदकगण के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) साहिल कुमार पिता स्व0 रितन राम, (2.) कृष्णा कुमार पासवान पिता स्व0 भुनेश्वर पासवान, (3.) गणेश राम पिता स्व0 सुखदेव राम, निवास स्थान हुड्हुडु, थाना-हजारीबाग बड़ा बाजार, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-हुड़हुडु, थाना नं0-147, खाता संख्या-79, प्लॉट संख्या-1726, रकवा 0.0275 एकड़ (2.75 डिसमिल) (दो दशमलव सात पाँच डिसमिल) एवं खाता संख्या-79, प्लॉट संख्या-1727, रकवा 0.0225 एकड़ (2.25 डिसमिल) (दो दशमलव दो पाँच डिसमिल) कुल रकवा 0.05 एकड़ (05 डिसमिल) (पाँच डिसमिल) भूमि कैलाश गंझू पिता कार्तिक गंझू, निवास स्थान रिकवा, मिसराईन मोढ़ा, पोस्ट-डाड़ी, थाना-गिद्दी 'ए', जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.29 16:13:42 +05:30
Location: 192.168.100.2